:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः– 5/20

निर्णय दिनांकः–11.10.2021

1. श्री उदा पिता कालू डामोर उम्र वयस्क निवासी ढुण्ढी पटवारी हल्का सेण्डोला तहसील चिखली

वादी

बनाम

1. श्री धुलसिंह पिता भवानसिंह लबाना जाति लबाना निवासी ढूण्ढी
2. श्री बाबुलाल पिता गोपालसिंह लबाना उम्र वयस्क निवासी ढूण्ढी
3. प्रवीण पिता बदनसिंह लबाना निवासी ढुण्ढी
4. श्यामलाल पिता मणिलाल लबाना निवासी ढूण्ढी
5. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :– वादी एवं समस्त प्रतिवादीगण।

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी आराजीयत कृषिभूमि मौजा ढूण्ढी खा.न. 64–59 नया–पुराना ख. न. 261 का कुल रकबा 7.0900 है. कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा होकर वादी ही अपने 1/3 हिस्से में विगत 30 वर्षो से काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है।

यह कि वादी अपने खाते की कृषि भूमि में दिनांक 17.10.2020 को बचा हुआ परकोटा का निर्माण करने गया हुआ था कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक ने वादी के निर्माणाधीन परकोटे को जबरन गिरा दिया गया है। वादी गरीब आदिवासी हैं प्रतिवादीगण रूपये पेसो वाले है। तथा प्रतिवादी 1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढूण्ढी में प्रधानाचार्य है जो कि वादी को डरा धमका कर वादी के खाते की भूमि को हडपना चाहते है। प्रतिवादीगण की वादी की खातेदारी कृषिभूमि के पास कोई भूमि नहीं है इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण वादीगण को डरा धमका कर जमीन को हडपना चाहते है।

यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा दिनांक 12.06.2020 को मौजा ढूण्ढी के रा.उ.प्रा.वि. की भूमि खसरा न. 460/259 रकबा 12.10 बिघा एवं खसरा न. 469/259 रकबा 5.00 बिघा भूमि का पटवार हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत कोरम के द्वारा दो बार सीमाज्ञान कराया गया था तो पटवारी हल्का पटवारी एवं पंचायत कोरम के द्वारा मौके पर जमीन की नप्ती कर दी गयी फिर भी प्रतिवादीगण नप्ती से सन्तुष्ट नहीं हुए और जबरान अपनी मन मर्जी चला कर वादी की कृषि भूमि को हडपना चाहते है।

यह कि प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी आराजीयात में काश्त भी नहीं करने दे रहे है एवं परकोटा का निर्माण में व्यवधान पैदा कर रहे है।

. यह कि वाद कारण दिनांक 17.10.2020 को वादी द्वारा अपने खाते की भूमि में परकोटा निर्माण करने पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन वादी को विधी विरूद्ध तरिके से रोका गया तथा धमकी दी गयी की तेरे द्वारा परकोटा निर्माण किया गया तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को जातिगत रूप से अपमानीत करने हुए मॉ बहिन की गंदी गंदी गालिया गलोज कर अपमानित किया गया है।

पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प ग्राम पंचायत ढूण्ढी में दिनांक 11.10.2021 को लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत हुई। समस्त वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित होकर सीमाज्ञान उपरांत अपनी–अपनी सीमा में कब्जे काश्त हेतु सहमत हुए। तहसीलदार चिखली को निर्देशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान को सीमाज्ञान कराऐ। अतः पत्रावली को इसी स्तर पर निर्णित किया जाता है।

आदेश

सभी पक्षकारगण के आपसी सहमति अनुसार विवादित भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु तहसीलदार चिखली को निर्देशित किया जाता है।

(श्रीकांत व्यास)
उपखंड अधिकारी
चिखली

आदेश आज दिनांक 11.10.2021 को खुले आम सुनाया गया।

(श्रीकांत व्यास)
उपखंड अधिकारी
चिखली